



राजस्थान सरकार
राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

हैण्डलूंग हवेली, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

वेबसाइट : rsdcrc.food.rajasthan.gov.in, गेल आई.डी. raj-sforum@nic.in, दूरभाष 0141-2372237

क्रमांक:-एफ 4 (14)रा.आ./स्था./क.सहा./2025/1618 दिनांक: 17.08.2026

कार्यालय आदेश

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.3(1) प्र.सु./अनु-3/2024-07601 दिनांक 08.07.2026 में दिये गये दिशा निर्देशानुसार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा वर्ष 2024 में आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रीधी भर्ती परीक्षा-2024 में चयनित अभ्यर्थियों में से इस विभाग को आवंटित गैर अनुसूचित क्षेत्र के निम्न अभ्यर्थी को राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999 के अन्तर्गत अस्थायी आधार पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पद पर दो वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 12,600/- प्रतिमाह एवं तत्पश्चात् परीवीक्षाकाल अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के पे-मैट्रिक्स के लेवल L-2 में निम्नांकित शर्तों पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से नियुक्त किया जाकर इनका पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख अंकित अधीनस्थ जिला आयोग में एतद्वारा किया जाता है:-

SL. No.	Rank	Roll No.	Candidatge Name	Father's Name	Gender	DOB	Cat.	Sel_Cat	पदस्थापन स्थान
1	15230	1378678	MAHENDRA SINGH	SVARUP SINGH	MALE	06.07.03	EWS	EWS_ARD	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जैसलमेर

शर्तें :-

- परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 के अनुसार नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा- मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे।
- उक्त नियुक्ति आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन उक्त भर्ती से संबंधित विभिन्न याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णयों के अध्ययन रहेगी।
- राज्य सरकार द्वारा जारी नियमानुसार पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगे।
- परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
- परीवीक्षाकाल (Probation Period) में कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
- यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीवीक्षाकाल की समाप्ति पर सन्तोषजनक नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
- आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अभ्यर्थी को अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश उक्त समयावधि में कार्यभार सम्भालने में असमर्थ हो, तो उक्त समय अवधि में अभिवृद्धि हेतु पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए अद्योहस्ताक्षरकर्ता से अनुमति लेनी होगी। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं सम्भालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
- यदि अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में कार्यरत है तो उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होंगे। परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण करने के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्ति किए जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। उक्त सम्बन्ध में यदि इस नियुक्ति आदेश के जारी होने के 15 दिवस में पूर्व कार्यरत विभाग से कार्यमुक्ति/त्यागपत्र स्वीकृति आदेश प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कार्यग्रहण काल में नियमानुसार अभिवृद्धि हेतु 15 दिवस समाप्ति के 05 दिवस पूर्व प्रार्थना पत्र इस विभाग को भिजवाना होगा।
- उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
- राज्य में अवस्थित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान एवं राज्य के बाहर के बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा जारी शैक्षणिक दस्तावेजों के प्रमाणीकरण हेतु अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत/उल्लेखित

17.08.2026



राजस्थान सरकार
राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

हैण्डलूग हवेली, अशोक मार्ग, सी-स्कीम्, जयपुर

वेबसाइट : rscdrc.food.rajasthan.gov.in, मेल आईडी : raj-sforum@nic.in, दूरभाष 0141-2372237

क्रमांक:-एफ 4 (14)रा.आ./स्था./क.राहा./2025/

दिनांक:

- शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की सम्बन्धित बोर्डों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने/सही सन्दर्भित होने के क्रम में उक्त नियुक्ति अस्थायी (Provisional) रहेगी। जांच रिपोर्ट में कोई विपरीत तथ्य/मिथ्या सूचना पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त किये जाने का अद्योहस्ताक्षरकर्ता (नियुक्ति अधिकारी) को पूर्ण अधिकार होगा।
11. यदि उक्त अभ्यर्थी के दस्तावेजों में जांच उपरान्त दस्तावेज कूटरचित/फर्जी/मिथ्या पाये जाते हैं तो कार्यग्रहण के उपरान्त भी इसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर उनकी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी, साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
12. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
13. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएँ एवं संलग्न किये गये प्रमाण पत्र सत्य हैं। किसी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य/फर्जी पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी तथा राज्य सरकार/विभाग द्वारा उनकी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
14. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व भारत के संविधान के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ लेनी होगी।
15. उक्त चयनित अभ्यर्थी के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी मेरिट सूची के आधार पर ही होगा।
16. उक्त अभ्यर्थी की जन्मतिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है, जिन्हें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सम्यक् सत्यापन पश्चात स्वीकार किया गया है।
17. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(राजेश गुप्ता)

रजिस्ट्रार

क्रमांक:-एफ 4 (14)रा.आ./स्था./क.स./2025/1619-1627

दिनांक: 17.08.2026

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 निजी सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
- 2 निजी सहायक, रजिस्ट्रार, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
- 3 उप पंजीयक, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
- 4 शासन सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
- 5 शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 6 अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जैसलमेर को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित कार्मिक के कार्यग्रहण करने अथवा नहीं करने की सूचना विहित अवधि में इस कार्यालय को अविलम्ब भिजवायें।
- 7 MAHENDRA SINGH S/O SH. SVARUP SINGH,
VILLAGE- REWARA JETMAL, PACHPADRA, BALOTARA, DISTT. BALOTARA
(RAJ.) 344032 M.no- 9511522096, E-mail.Id- msrathorerewara@gmail.com
- 8 लेखा शाखा, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
- 9 रक्षित पत्रावली।

(राजेश गुप्ता)

रजिस्ट्रार